न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –29/2016 जिला अलवर

1. मु. कृष्णा देवी पुत्री प्रहलाद पत्नि श्री सोमप्रकाश, जाति सुनार काश्तकार मानका तहसील मुण्डावा हाल वासी रेवाडी (हरियाणा) (वारिस प्रहलाद मृतक)

अपीलार्थी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र हरिकिशन, जाति सुनार, साकिन मानका हाल आबाद 21121106 बेसिठ सुख भवन, चार कमान, गुजार होज, हैदराबाद –2
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर 4.12.2013 एवं नामांतरकरण संख्या 2873 दिनांक 9.12.2013

उपस्थित–
1. वकील अपीलार्थी श्री गोपाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री उपेन्द्र सोनी

निर्णय

दिनांक– 20.9.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर के आदेश दिनांक 4.12.2013 एवं इसकी अनुपालना में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 2873 दिनांक 9.12.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मानका, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 0.55 व खसरा नम्बर 64 रकबा 0.63 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर का गैर खातेदार प्रहलाद पुत्र पीरू सोनी था जिसकी मृत्यु दिनांक 22.9.77 को होने पर रेस्पोंडेन्ट गोविन्द पुत्र हरिकिशन सोनी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके दादा प्रहलाद पुत्र पीरू सोनी ने दिनांक 25.11.70 को एक वसियतनामा उसके नाम लिखा है जिसके आधार पर इन्तकाल उसके नाम दर्ज किया जावे । तहसीलदार मुण्डावर ने रेस्पोंडेन्ट गोविन्द के उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 4.12.2013 पारित कर उक्त आराजी का नामांतरकरण वसियत ग्रहिता गोविन्द पुत्र हरिकिशन सुनार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं उक्त आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 2873 गोविन्द पुत्र हरिकिशन के नाम भरा गया जिसे दिनांक 9.12.13 को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा स्वीकृत किया गया । तहसीलदार मुण्डावर के उक्त आदेश दिनांक 4.12.13 एवं नामांतरकरण संख्या 2873 दिनांक 9.12.13 के खिलाफ मृतक प्रहलाद की पुत्री मु. कृष्णा देवी द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 23.11.16 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का गैर खातेदार अपीलान्ट का पिता था जिसके अपीलान्ट के अलावा हरिकिशन, जगदीश पुत्रान व मु. फूला देवी पुत्री थी जिनमें से हरिकिशन, जगदीश व मु. फूला की मृत्यु हो गई है । मृतक प्रहलाद के जायन्दा पुत्र –पुत्रियॉ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में विधिक वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के समस्त वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही रेस्पोंडेन्ट के हक में वसियत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर नामांतरकरण

तस्दीक कर दिया , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । जिस 1/– के स्टाम्प पर वसियतनामा तहरीर व तकमील किया है वह स्टाम्प हरिकिशन पुत्र प्रहलाद के नाम से दिनांक 4.4.70 को क्रय कर फर्जी वसियतनामा तहरीर व तकमील कराया है । स्टाम्प क्रमांक 14599 दिनांक 4.4.70 से यह भी पता नहीं चलता कि वह किस काम के लिये खरीद किया था एवं हरिकिशन के नाम से क्रय किये गये स्टाम्प पर प्रहलाद द्वारा वसियतनामा दिनांक 25.11.70 को लिखा है जिससे प्रतीत होता है कि समस्त कार्यवाही फर्जी है । उनका कहना था कि अलवर जिले में हिन्दी भाषा का प्रचलन होने के बावजूद वसियत अग्रेजी में तहरीर की है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है । मृतक प्रहलाद द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कोई वसियतनामा तहरीर नहीं किया था , वह अंगूठा निशानी करता था जबकि वसियतनामें पर प्रहलाद के फर्जी दस्तखत किये गये हैं । उनका कहना था कि गैर खातेदार प्रहलाद का स्वर्गवास वर्ष 1977 में हो गया था, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने 2013 में अपने नाम नामांतरकरण तय कराया है जिससे भी साबित होता है कि वसियत फर्जी है । विवादित भूमि प्रहलाद की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक भूमि थी इसलिये प्रहलाद को वसियत करने का अधिकार नहीं था । अतः अपीलाधीन आदेश एवं नामांतरकरण त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण पुनः सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर निर्णय करने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के गैर खातेदार प्रहलाद पुत्र पीरू सोनी द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम वसियतनामा लिखा था । तहसीलदार मुण्डावर द्वारा वसियतनामें के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित करने से पूर्व समाचार पत्र में विज्ञप्ती जारी की थी कि किसी को आपत्ति हो तो न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.13 को उपस्थित होकर पेश करें । अपीलान्ट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया , उचित नहीं है । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं गवाह घनश्याम व गणपत सिंह के शपथ पत्र लेकर पारित किया है । अपीलान्ट को यदि वसियतनामें के संबंध में कोई आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये । अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण उचित एवं विधिक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस संबंध में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाता है । अपील में मृतक गैर खातेदार प्रहलाद के दो पुत्र हरीकिशन, जगदीश व दो पुत्रियॉ फूली देवी व कृष्णा देवी होना तथा इनमें से हरिकिशन, जगदीश व फूला देवी का फौत होना अंकित किया है । इस प्रकार मृतक गैर खातेदार प्रहलाद की पुत्री अपीलान्ट कृष्णा देवी जीवित है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट गोविन्द पुत्र हरिकिशन द्वारा वसियत के आधार पर नामांतरकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2013 को प्रस्तुत किया था जिस पर अपीलान्ट कृष्णा देवी पुत्री प्रहलाद की आपत्ति पर दिनांक 23.10.2013 को उज्रदारी नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर पत्रवली में दिनांक 31.10.13 नियत की गई । दिनांक 31.10.2013 का पुनः उज्रदारी जारी करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली में दिनांक 15.11.2013 नियत की गई ओर 15.11.13 को मौहर्रम होने से आगामी पेशी 19.11.13 नियत की गई । दिनांक 19.11.13 को पुनः कृष्णा देवी उज्रदार को साक्ष्य गवाह पेश करने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश किये जाकर आगामी पेशी 26.11.13 नियत की गई । दिनांक 26.11.13 को कृष्णा देवी द्वारा कोई गवाह साक्ष्य पेश नहीं किये जाने एवं स्वयं उपस्थित नहीं होने से एक मौका ओर देते हुये आगामी पेशी 3.12.13 नियत की गई । दिनांक 3.12.13 को कृष्णा देवी के उपस्थित नहीं होने एवं गवाह साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं होने से पत्रावली दिनांक 4.12.13 को वास्ते निर्णय नियत की गई ओर दिनांक 4.12.13 को निर्णय कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट गोविन्द का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से 2 माह के अन्दर प्रकरण में बहस सुने बिना , अपीलार्थी कृष्णा देवी को सुने बिना बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है , जिसे न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । मृतक प्रहलाद की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण प्रहलाद के पुत्र हरिकिशन के पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गोविन्द के हक में

वसियत के आधार पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर तस्दीक किया गया है । तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मृतक प्रहलाद के विधिक वारिसान की जांच नहीं की और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया । अपीलान्ट मृतक प्रहलाद की पुत्री होने से प्रभावित व्यक्ति है जिसे उसके पिता की विरासत के नामांतरकरण के संबंध मे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था । जहॉ वसियत के संबंध में पक्षकारों में विवाद हो तो वसियत का विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं कर नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय करना चाहिये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई , साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर , जिला अलवर को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 4.12.2013 एवं इसकी अनुपालना में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 2873 दिनांक 9.12.2013 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर को मृतक प्रहलाद के विधिक वारिसान की जॉच कर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर